

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
पूर्णियाँ।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, कसबा।

पटना, दिनांक- 24/9/18

विषय:- ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा 14वीं वित्त योजनान्तर्गत नगर पंचायत, कसबा अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-03/2018-19 के ग्रुप सं०-04 के कार्य वार्ड सं०-10 में हीरालाल साह के घर से वार्ड आयुक्त के घर से शंकर लाल राय के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य (पिछड़ा वर्ग महिला) के निविदा के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्णियाँ का पत्रांक-218 दिनांक-02.08.2018 एवं पत्रांक-239 दिनांक-08.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित निविदा हेतु तुलनात्मक विवरणी एवं प्राप्त एकल निविदाकार के डाउनलोडेड निविदा कागजात के समीक्षोपरान्त मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् है:-


| ग्रुप सं० | कार्य का नाम | मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों को पालन करने के कारण।) | अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं के अनुपालन नहीं करने के कारण) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04. | 14वीं वित्त योजनान्तर्गत नगर पंचायत, कसबा अन्तर्गत वार्ड सं०-10 में हीरालाल साह के घर से वार्ड आयुक्त के घर से शंकर लाल राय के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य (पिछड़ा वर्ग महिला)। | (1) श्रीमति सुषमा देवी (उद्धृत दर:- B.O.Q दर पर।) | (1) श्रीमति गायत्री देवी (उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर।) (कंडिका 17-3, 17-4(क), (ख), (ग) एवं (घ) एवं 17-4(ड) का अनुपालन नहीं करने के कारण) |

उक्त दो निविदाकारों में से एकमात्र निविदाकार श्रीमति सुषमा देवी की निविदा मान्य है। विषयांकित कार्य की निविदा हेतु पूर्व की निविदा में एकल निविदाकार की निविदा मान्य रहने एवं पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-3162(S) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में रद्द करने का प्रतिवेदन प्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि अमान्य निविदाकार का उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि 10% कम दर है, जबकि मान्य निविदाकार का उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि पर है।

तदनुसार मान्य निविदाकार श्रीमति सुषमा देवी को दिनांक-25.09.2018 को दर वार्ता हेतु अपने स्तर से इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचित कर देंगे।

विश्वासभाजन



अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग